# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 60 / 2020 / 75 (2020 / 00060)

आम जनता खरवा, ग्राम पंचायत खरवा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर जरियेः—

1. मनीष कुमार पुत्र दुलीचंद,
2. प्रेमसिंह पुत्र किशनसिंह,
3. गोपालसिंह पुत्र मोहनसिंह,
4. प्रभूसिंह पुत्र धन्नासिंह,
5. जितेन्द्र पुत्र सत्यनारायण दाधीच
6. यदुसेन पुत्र चन्द्रसेन,
7. शक्तिसिंह पुत्र भंवरसिंह,
8. लेखसिंह पुत्र लादूसिंह,
9. गणपतसिंह पुत्र प्रभूसिंह,
10. आदित्य पुत्र चन्द्रप्रकाश,
11. जयप्रकाश पुत्र जयनारायण मोदी,
12. हेमन्तसिह पुत्र महिपालसिंह,
13. दुर्गेश पुत्र रामस्वरूप,
14. रघुवीरसिंह पुत्र किशोरसिंह राजपुरोहित,
15. नवाब खान पुत्र सुबान खान,
16. सुखदेव पुत्र मिश्रीलाल तेली,
17. रमेश पुत्र रामलाल भील,
18. कंवरीलाल पुत्र प्रभूलाल दायमा,
19. मुरली पुत्र प्रभू,
20. राजू महाराज पुत्र परशराम वैष्णव,
21. दिलीप पुत्र सोहनलाल खटीक,

समस्त निवासी खरवा, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. सुरेशचन्द्र खीचा पुत्र ज्ञानचंद खीचा,
2. श्रीमती सरोज कुमारी खीचा पत्नि सुरेशचन्द्र खीचा

दोनो जाति जैन, निवासी फतेहनगर कॉलोनी, ब्यावर, जिला अजमेर ।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

**अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा आदेश कमांक भू0रू0उखम / 18 / 71 दिनांक 23.7.2018.**

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3.

# निर्णय

दिनांकः– 27.8.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के आदेश क्रमांक भू.रू. /उखम/18/71 दिनांक 23.7.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने अपने आदेश क्रमांक भू.रू. /उखम/18/71 दिनांक 23.7.2018 द्वारा ग्राम खरवा तहसील मसूदा के खसरा नंबर 2233 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा नंबर 2234 रकबा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि में से 8376.97 वर्गमीटर भूमि का रेस्पो0 के पक्ष में राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियत 2007 के नियम 9(3)(4)(6) एवं संशोधित नियम एफ.6 (6)/राजस्व–6/92/पी.टी./8 दिनांक 26.4.2011 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए सपंरिवर्तन के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने धारा 96 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि मौके पर स्थित खसरा संख्या 2233 रकबा 4 ओघा 13 बिस्वा व 2234 रकबा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी अर्थात् 8376.97 वर्गमीटर से चिपती हुई आराजियात खसरा नंबर 2232 जो कि गैर मु0 पाल की आराजी है, एवं उपरोक्त आराजियात को नक्शे में दर्शाया नहीं जाकर संपरिवर्तन आदेश पारित कर दिया गया है जिसकी आड़ में गै0मु0पाल पर बजरी डालकर उसे समतल किया जाकर आवासीय कॉलोनी का रास्ता बनाया जा रहा है जबकि उक्त आराजियात जो कि गै0मु0 पाल की आराजियात है एवं सिंचाई हेतु बरसात के समय पानी का बहाव क्षेत्र है, प्रार्थीगण ग्रामवासियान के हित व अधिकार उक्त पाल की आराजियात पर किए जा रहे सड़क निर्माण से प्रभावित होते है जिस बाबत् न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त अपील स्वंय के अधिकारों की रक्षार्थ प्रस्तुत की जा रही है । संपरिवर्तनशुदा आराजियात मूर्ति मंदिर महादेव की खातेदारी की आराजी रही है जिसके हितों की रक्षार्थ मान0 न्याया0 के समक्ष प्रार्थीगण ग्रामवासियान द्वारा अपील प्रस्तुत की जा रही है । अतः प्रार्थीगण ग्रामवासियान को आक्षेपित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 का लिखित जवाब पेश कर कथन किया कि अपीलांट ने असत्य कथनों के आधर पर अपील पेश की है । वास्तव में खातेदारी की भूमि बाबत् विधिक प्रकिया अपनाई जाकर आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन का आदेश पारित किया गया है । इस हेतु बनाये गये नियमों की पूर्ण प्रकिया अपनाई, पालना की गई, तथा इस बाबत् प्राधिकृत अधिकारी का आदेश किसी भी प्रकार से चुनौती दिये जाने योग्य नहीं है तथा संपरिवर्तन से पूर्व भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी में अंकित रही है तथा भूमि की किस्म बारानी तृतीय दर्ज रही है । कल्पनाओं के आधार पर विधिविरूद्ध उद्देश्यों की पूर्ति करने के उद्देश्य से असत्य कथन अंकित कर प्रकरण प्रस्तुत किया गया है । अपीलांट किसी भी प्रकार से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार नहीं है । इस कारण इन्हें अपील पेश करने का कोई विधिक अधिकार नही है । अपील में अंकित अपीलांट संख्या 2 प्रेमसिंह पुत्र किशनसिंह द्वारा समस्त कार्यवाही की गई है तथा इस न्यायालय में

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

शपथ पत्र आदि समस्त प्रार्थना पत्रों के साथ जो संलग्न किए गए है वह प्रेमसिंह के है । उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.7.2018 से पूर्व जो प्रक्रिया अपनाई गई तथा सरपंच द्वारा इस बाबत् जो अनापत्ति दी गई तत्समय श्री प्रेमसिंह स्वंय सरपंच थे तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेमसिंह द्वारा ही दिया गया है । इसके लिए पंचायत से प्रस्ताव लिया गया था इससे स्पष्ट है कि वर्तमान अपील विधि विरूद्ध उद्देश्यों की पूर्ति हेतु रेस्पो0 को परेशान करने की नियत से पेश की गई है । अपीलांट को अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 निरस्त किया जावे ।

6. अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात बाबत् अवैधानिक रूप से नियमों के विपरीत जहां उक्त आराजियात तक पहुंचने हेतु मौके पर किसी भी प्रकार का रास्ता मौजूद नहीं है, गै0मु0 पाल की आराजियात को दर्शाया नहीं जाकर राजस्व नक्शा प्रस्तुत किया गया है जिस बाबत् पाल पर रास्ते का निर्माण किए जाने के उद्देश्य से संपरिवर्तन आदेश जारी करवाया गया है व आक्षेपित आदेश की आड़ में मौके पर गै0मु0 पाल की आराजियात पर रास्ता बनाये जाने की कार्यवाही हाल ही में दिनांक 4.2.2020 को किये जाने पर ग्रामवासियान द्वारा आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पेश किया तथा प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का जवाब पेश कर कथन किया कि भूमि संपरिवर्तन से पूर्व खातेदारी की भूमि रही है । इस भूमि बाबत् संपरिवर्तन हेतु पत्रावली उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई उसके अनुसरण में सरंपच ग्राम पंचायत खरवा द्वारा पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था एवं इसके अनुसरण में कार्यालय ग्राम पंचायत खरवा द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया । उक्त समस्त कार्यवाही के समय प्रेमसिंह पुत्र किशनसिंह जो तत्समय सरपंच थे, उनके हस्ताक्षर है । ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि वर्तमान अपील प्रस्तुत करते समय धारा 5 मियाद अधि. के जो कारण शपथ पत्र में प्रेमसिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये है वह असत्य है, दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से अपील प्रस्तुत कर न्यायालय को मुगालता देने के उद्देश्य से कल्पनाओं के आधार पर कारण अंकित किये है । इन आधारों पर विलंब माफ नहीं किया जा सकता है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण बताये है वे असत्य है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 निरस्त किया जाकर अपील मियाद बिन्दू पर निरस्त की जावे ।

8. प्रकरण मे गुणावगुण पर विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित संपरिवर्तन आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 2233 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा नंबर 2234 रकबा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी के गत खसरा नंबर 1664 व 1665 रहे है, उपरोक्त आराजियात खसरा नंबर 1664 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा व 1665 रकबा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी माफी मंदिर श्री महादेव महाराज खतौनी सनफसली 1349 से निरन्तर चली आ रही है । अवैधानिक रूप से उपरोक्त आराजियात बाबत् पुजारी गुलाबगिरी वल्द परता के नाम संवत् 2024 से 2027 की जमाबंदी में बिना किसी आधार के अंकन किया गया

है । उक्त अवैध इंद्राजात के आधार पर मूर्ति मंदिर की आराजियात को पुजारी गुलाबगिरी द्वारा आगे बेचान किए जाने से जरिये नामांतकरण संख्या 1391 दिनांक 2.10.2009 को भंवर श्यामसिंह पुत्र कंवर केसव सेन राजपूत के नाम अंकन किया गया है । जिनके द्वारा दिनांक 21.7.2015 को बेचान किए जाने से नामांतकरण संख्या 2891 दिनांक 21.7.2015 से रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम अंकन किया गया है जिनके द्वारा स्वंय के नाम रहे अवैधानिक इंद्राजातों के आधार पर अधी0न्याया0 विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष उक्त आराजियात को संपरिवर्तन किए जाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर बिना दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किये आक्षेपित आदेश से मूर्ति मंदिर महादेव जी की आराजियात खसरा नंबर 2233 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा व 2234 रकबा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी अर्थात् 8376.97 वर्गमीटर भूमि को संपरिवर्तन किए जाने बाबत् आदेश पारित किए जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर मौका रिपोर्ट तहसीलदार, मसूदा द्वारा प्रेषित की गई जिसमें उपरोक्त आरायिजात को एन0एच0 8 से रामदेव मंदिर तक जाने वाली डामर सड़क के मध्य से साढे बारह मीटर होना अंकित किया है जबकि मुख्य सड़क से उपरोक्त आराजियात तक पहुंचने बाबत् मौके पर किसी प्रकार का रास्ता स्थित नहीं है । एक मात्र मंदिर तक पहुंचने हेतु राजकीय प्राथमिक विद्यालय द्वारा स्वंय की खातेदारी की आराजियात से रास्ता दिया हुआ है । उक्त रास्ते को मुख्य मार्ग होना दर्शाया जाकर आक्षेपित आदेश पारित किया है जो प्रथमदृष्टया निरस्तनीय है । मौके पर स्थित आराजियात खसरा नंबर 2233 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा व 2234 रकबा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी से चिपती हुई आराजी खसरा नंबर 2232 जो कि गैर मु0 पाल की आराजी है एवं उपरोक्त आराजी को नक्शे में दर्शाया नहीं जाकर संपरिवर्तन आदेश पारित कर दिया गया है जिसकी आड़ में गै0मु0पाल पर बजरी डालकर उसे समतल किया जाकर आवासीय कॉलोनी का रास्ता बनाया जा रहा है जबकि उक्त आराजियात जो कि गै0मु0पाल की आराजी है एवं सिंचाई हेतु बरसात के समय पानी का बहाव क्षेत्र है, प्रार्थीगण ग्रामवासियान के हित व अधिकार उक्त पाल की आराजियात पर किए जा रहे सड़क निर्माण से प्रभावित होते है । वादग्रस्त आराजियात बाबत् अवैधानिक रूप से नियमों के विपरीत जहां उक्त आराजियात तक पहुंचने हेतु मौके पर किसी भी प्रकार का रास्ता मौजूद नहीं है, गै0मु0पाल की आराजियात को दर्शाया नहीं जाकर राजस्व नक्शा प्रस्तुत किया गया है जिस बाबत् पाल पर रास्ते का निर्माण किए जाने के उद्देश्य से संपरिवर्तन आदेश जारी करवाया गया है व आक्षेपित आदेश की आड़ में मौके पर गै0मु0पाल की आराजियात पर रास्ता बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है जिससे समस्त ग्रामवासियान के हित प्रभावित हो रहे है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे।

9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व रेस्पो0 संख्या 2 ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सपंरिवर्तन आदेश विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 ने संपरिवर्तन आदेश पारित करने से पूर्व संपूर्ण विधिक प्रकिया अपनाकर तहसीलदार से रिकार्ड, मौका स्थिति, भराव क्षेत्र, डूब क्षेत्र, रास्ते की स्थिति, आबादी से दूरी, विद्युत लाईन, पाईप लाईन, गैस लाईन, सीलिंग सीमा, किसी प्रकार का वाद विवाद स्थगन आदि के संबंध में मौका रिपोर्ट तलब की है जिस पर तहसीलदार ने अपने पत्र क्रमांक 1010 दिनांक 20.7.2018 द्वारा अधी0न्याया0 को मौका रिपोर्ट पेश की है जिसके अनुसार विवादित आराजियात रेस्पो0 की खातेदारी की भूमि होकर कॉलोनी हेतु संपरिवर्तन चाहे जाने का उल्लेख किया है । उक्त

रिपोर्ट में विवादित भूमि को कमाण्ड, कैचमेंट ऐरिया, पैराफेरी क्षेत्र में नहीं होने का भी उल्लेख किया है । विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने खातेदार से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। विवादित भूमि मूति मंदिर महादेव जी नहीं होकर रेस्पो0 की खातेदारी की आराजियात थी जिसका नियमानुसार संपरिवर्तन करवाया गया है । विवादित भूमि रेस्पो0 की खातेदारी की आराजियात थी जिसके संपरिवर्तन किये जाने से अपीलांटस के हक व अधिकार प्रभावित नहीं होते है । इस कारण अपीलांटस पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार की श्रेणी में नहीं माने जा सकते है तथा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने का विधिक अधिकार नहीं है । अधी0न्याया0 ने संपूर्ण विधिक प्रकिया अपनाकर अपीलाधीन संपरिवर्तन आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

10. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड अनुसार माफी मंदिर महादेवजी के नाम दर्ज है जिस पर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है इसलिये अधी0न्याया0 द्वारा बिना पूर्ण राजस्व रिकार्ड को देखे ही आदेश दिनांक 23.7.2018 पारित करने में त्रुटि कारित की है।

11. हमनें उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

12. प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 का अवलोकन किया गया । वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2233 रकबा 4–13–00 खसरा नंबर 2234 रकबा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी अर्थात् 8376.97 वर्गमीटर से चिपती हुई आराजियात खसरा संख्या 2232 जो कि गैर मु0 पाल की आराजियात है एवं उपरोक्त आराजियात को नक्शे में दर्शाया नहीं जाकर संपरिवर्तन आदेश पारित कर दिया गया है जिसकी आड़ में गै0मु0 पाल पर बजरी डालकर उसे समतल किया जाकर आवासीय कॉलोंनी का रास्ता बनाया जा रहा है एवं वादग्रस्त आराजियात मूति मंदिर महादेवजी की खातेदारी की आराजियात रही है जिसके हितों की रक्षार्थ ग्रामवासियान द्वारा उपरोक्त अपील प्रस्तुत की गई है । इसलिये न्यायहित में ग्रामवासियों को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है क्योंकि मंदिर मूर्ति के हितों की रक्षार्थ कोई भी व्यक्ति अपील प्रस्तुत करने में सक्षम है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

13. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में प्रार्थीगण ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है क्योंकि प्रार्थीगण अधी0न्याया0 के समक्ष पक्षकार नहीं थे जिससे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी उन्हें तत्समय नहीं हो सकी थी । न्यायहित में हम अपीलांटस को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

14. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 1349 फसली से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 2233 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नबर 2234 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वांसी जिसके गत खसरा नंबर 1664 व 1665 रहे है, उपरोक्त आराजियात खसरा संख्या 1664 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा व 1665 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वांसी माफी मंदिर श्री महादेव जी महाराज के नाम दर्ज रही है एवं मंदिर मूर्ति की खातेदारी की आराजियात अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज नहीं की जा सकती है ।

उपरोक्त आराजियात किस प्रकार से रेस्पो0 के नाम दर्ज की गई उपरोक्त बिन्दु जांच का विचारणीय बिन्दु है । उक्त बाबत् खसरा नंबर 2233 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नबर 2234 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वांसी जिसके गत खसरा नंबर 1664 व 1665 की पूर्ण जांच कर विधिनुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है एवं साथ ही उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 2233 व 2234 के चिपती हुई आराजियात खसरा नंबर 2232 गै0मु0 पाल है इस बाबत् भी तहसीलदार, मसूदा से जांच करवाया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त विवेचनानुसार उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा संपूर्ण राजस्व रिकार्ड की जांच किये बिना ही संपरिवर्तन आदेश दिनांक 23.7.2018 को पारित किया गया है जो विधिनुसार उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः अधी0न्याया0 द्वारा पारित संपरिवर्तन आदेश दिनांक 23.7.2018 निरस्त योग्य होकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

15. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.7.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 2233 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नबर 2234 रकबा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी जिसके गत खसरा नंबर 1664, 1665 सन् फसली 1349 में माफी मंदिर श्री महादेवजी के नाम दर्ज थी । इसकी जांच की जानी आवश्यक है । साथ ही विवादित आराजियात के चिपती हुई आराजियात खसरा नंबर 2232 गै0मु0 पाल बाबत् किस्म बाबत् तहसीलदार, मसूदा से जांच करवाकर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर प्रकरण में विधिनुसार निर्णय पारित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

16. निर्णय आज दिनांक 27.8.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर